न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/152/2025

उनवान

1. पंकज पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र महाजन आयु बालिग निवासी बाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. तुषार पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. आशा पुत्री श्री प्रकाश चन्द्र महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. राजु पुत्र श्री भंवर लाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
5. भरत पुत्र श्री भंवर लाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
6. महावीर पुत्र श्री भंवर लाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
7. मीना पुत्री श्री भंवर लाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज,
8. अनिल पुत्र श्री शांतिलाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
9. हेमन्त पुत्र श्री शांतिलाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
10. मनीषा पुत्री श्री शांतिलाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
11. भारती पुत्री शांति लाल महाजन, निवासी–थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
12. प्रिति पुत्री श्री शांतिलाल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

विपक्षीगण/अपीलाण्ट्

बनाम

1. जसु पुत्री श्री जाला गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. धन्नी पुत्री श्री जाला गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. नेनी देवी पत्नि श्री जाला गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भागु पुत्र श्री जाला गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. धर्मा पुत्र श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी याणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. धन्ना पुत्र श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. खुशबु पुत्री श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. मन्दरूप पुत्र श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. पुष्पा देवी पुत्री श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. नाथी देवी पत्नि श्री मेवा गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. राधा पुत्र श्री जाला गुर्जर आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान

12. प्यारी पत्नि लालचन्द महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. महावीर कुमार पुत्र श्री लालचन्द महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. रोशन लाल पुत्र श्री लालचन्द महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. धर्मचन्द पुत्र श्री चौथमल महाजन आयु बालिग निवासी थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. श्रवणलाल पुत्र जगुराम गुर्जर , निवासी निवासी–थाणातहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राज. वयस्क निवासी थाणा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा राज,

.....विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा के प्रकरण संख्या 158/2021 निर्णय दिनांक 28.4.2025

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अभिभाषक : 1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 17.2.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 11 /प्राथीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम थाणा पटवार हल्का थाणा तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 221 के आराजीनम्बर 3273 रकबा 0.2782 है0, आराजी नम्बर 3274 रकबा 0.4173 है0, आराजी नम्बर 3275 रकबा 0.3288 है0, आराजी नम्बर 3276 रकबा 0.0759 है0, आराजी नम्बर 3279 रकबा 0.5944 है0 आराजी नम्बर 3283 रकबा 0.2656 है0, आराजी नम्बर 3285 रकबा 0.0506 है0, आराजी नम्बर 3440 रकबा 0.0632 है0, आराजी नम्बर 4116/3279 रकबा 0.0759 है0,कुल किता 9 कुल रकबा 2.1499 है भूमि स्थित है। उक्त खाते की आराजियात प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मेंदर्ज होकर कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है ।

2. प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के उत्तर–दक्षिण की ओर विपक्षीगण की आराजी नं. 3103 रकबा 0.3415 हैक्टर, आराजी नं. 3104/1 रकबा 0.0126 हैक्टर, आराजी नं. 3109 रकबा 0.1012 हैक्टर, आराजी नं. 3168 रकबा 0.1518 है आराजी नं. 3413/2 रकबा 0.2023 है, आराजी नं. 3432 रकबा 0.0506 है. आराजी नं. 3433 रकबा 0.0506 है आराजी नं. 3434 रकबा 0.0885 है. आराजी नं. 3434/1 रकबा 0.0506 हैक्टर, आराजी नं. 3466 रकबा 0.1770 कुल किता 10 कुल रकबा 1.2267 हैक्टर स्थित है जो उनके नाम पर हाल जमाबंदी मे खातेदारी हक के रूप में दर्ज होकर स्थित है।

3. प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के उत्तर–दक्षिण की ओर विपक्षीगण की आराजी नं 3164, 3165, 3166, 3167, 3435, 3439, 3442, 3443, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3746, 3747, 3764, 3765 कुल किता 17 कुल रकबा 2.4912 हैक्टर स्थित है जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उनके नाम पर हाल जमाबंदी में खातेदारी हक के रूप में दर्ज होकर स्थित है।

4. विपक्षीगण की आराजी नं. 3433 व आराजी नं. 3442 के उत्तर–दक्षिण दिक्षा की मेड से होकर प्रार्थीगण की आराजी नं. 3440 के उत्तर–दक्षिण दिशा के मेड के सहारे सटवा आम रास्ता स्थित है जो आगे जाकर प्रार्थीगण के खेतो में पहुंचता है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी नं. 3433, व 3442 में से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करके बिना किसी रोक टोक के अपनी प्रार्थीगण की आराजी नं. 3440, मे पूर्वजो के समय से 50 वर्ष से अधिक समय से अपने खेतो में आते जाते रहे है। जो कि सबसे सुगम और कम दूरी का रास्ता प्रार्थीगण के लिए है।

5. विपक्षीगण ने पिछले कुछ समय से प्रार्थीगण के खेतो का रास्ता स्थाई रूप से बन्द कर दिया तथा प्रार्थीगण की आराजियात में आने–जाने का और कोई अन्य रास्ता मौजुद नहीं होने से प्रार्थीगण अपने आराजियात में कृर्षि कास्त नहीं कर पा रहे है तथा आये दिन प्रार्थीगण को विपक्षीगण से अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये विपक्षीगण से तु–तु मै–मैं करनी पडती है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी 3440 में विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी नं. 3433 व 3442 मे से आने–जाने हेतु मना कर दिया तथा कृर्षि यन्त्र जैसे टैक्टर बैलगाडी, फसल इत्यादि लाने ले जाने में रोक टोक करने लगे जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी में कृर्षि कास्त करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है और बिना राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रास्ते के प्रार्थीगण को अपनी जोत में फसल कास्त करने व उसकी देखरेख करने में काफी कठिनाई महसूस हो रही है।

6. प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को बन्द रास्ता खोलने तथा आने–जाने के रास्ते को स्थाई रूप से खुला रखने हेतु निवेदन किया तथा आखरी बार दिनांक 10.07.2021 को निवेदन किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को गाली गलौच करते हुए कहाँ इधर तुम्हारा कोई रास्ता नही है। तथा विपक्षीगण ने रास्ता खोलने से मना कर दिया तब दिनांक 10.07.2021 को वाद हेतु उत्पन्न होकर प्रार्थनापत्र पेश करने की नोबत आयी है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी आराजियात मे आने जाने हेतु स्थायी रूप से 20 फिट चौडा नविन रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र श्रीमान् की सेवा में पेश किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. प्रार्थीगण के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले परम्परागत रास्ते को नजरी नक्शे में वर्णित ए.बी.सी. अकिंत करते हुए लाल रंग से दर्शित किया गया है। उक्त नजरी नक्शे में दर्शाय गये रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो मे पूर्वजो के समय से ही आ जा रहे है। तथा उक्त विभाजित रास्ते का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजीयात ने आने–जाने हेतु और कोई अन्य रास्ता उपलब्ध (मौजुद) नही है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यकिंत आवश्यकता है। जिससे व अपने खेतों में जाकर कृर्षि कास्त कर सके। प्रार्थीगण जो कि एक अभिघारी के रूप में अपनी जोतों तक पहुंचने के लिए विपक्षी की आराजी नं. 3433 व 3442 उत्तर–दक्षिण दिशा की ओर सटवा रास्ता है जिसमे से होकर प्रार्थीगण अपने खेतो मे पहुंचते है। विपक्षीगण की आराजी नं. 3442 व 3433 में से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नं. 3440 में पहुंचने का सबसे सुलभ रास्ता है उस निद्यमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने चाहते है। इस हेतु न्यायालय श्रीमान् इस रास्ते हेतु जो भी प्रतिकर राशि के सदाय हेतु आदेश प्रदान करेगें तो प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

8. प्रार्थीगण को आये दिन अपनी आराजीयात पर फसल की खुदाई, बुवाई, पिलाई, व कास्त करने कृर्षि उपकरणो, बैलगाडी, मवेशी बांधने, सिचाई करने व फसल कास्तं करने हेतु अन्य सामगी लाने व ले जाने हेतु विपक्षीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीगण अपने खेतो में कृषि कास्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनिय क्षति का सामना करना पड रहा है। जिसकी पूर्ति किया जाना कदापी संभव नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण कि परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने के लिये नवीन रास्ता दिलाया जाना न्याय हित में उचित होकर अति आवश्यक है।

9. प्रार्थीगण अपनी आराजी नं. 3440 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नं. 3442 व 3433 के उत्तर–दक्षिण दिक्षा की ओर से 20 फिट का चौडा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण को अपने कृर्षि यन्त्र फसल इत्यादि लाने ले जाने हेतु दिलाया जाना आवश्यक है जो प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

तथा रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशो व शर्तों को मानने को तैयार है।

10. विपक्षी संख्या 08 जो कि भूमीधारी होने से प्रार्थना पत्र में आदेश व डिकी की पालना हेतु पक्षकार कायम किया गया है।

11. अत निवेदन है कि प्रार्थीगण के नाम कलम नं. 1 में वर्णित आराजी नं. 3440 मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नं. 3433 व 3442 के उत्तर–दक्षिण दिशा की मेड के सहारे 20 फिट का चौडा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार दिलाया जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजियात पर आने जाने के रास्ते के बदले प्रतिफल जमा कराने को तैयार है। इसलिये प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने हेतु कम से कम 20 फिट चौडा नवीन रास्ता दिलाया जावे। तथा नवीन रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज (तरमीम) करने के लिए विपक्षी संख्या 08 को आदेश फरमाया जावे। जिससे प्रार्थीगण बिना रोक टोक के अपनी आराजियात में आ जा सकें तथा कृषि कास्त कर सके।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.4.2025 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

13. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एव उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 11 ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम थाणा में आराजी संख्या 3440 स्थित है, जो प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 3433 व 3442 के उत्तर दक्षिणी दिशा की मेड़ से होकर है। उक्त आशय के प्रार्थनापत्र का जवाब विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत कर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्टान् का कभी कोई किसी प्रकार से रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 3433 व 3442 से नहीं रहा है और न आज भी है । प्रार्थीगण की आराजी आबादी से सटमा है और जहाँ से प्रार्थीगण के पास स्वंय की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र निराधार पेश किया है। इतना ही नहीं मामले में मौका निरीक्षण किये जाने के संबंध में कोई किसी प्रकार से विपक्षीगण को सुचित नहीं किया और न ही विपक्षीगण की उपस्थित में मौका देखा गया। गरज कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होते हुये भी प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थनापत्र अपीलाण्टान् की आराजी में से रास्ता प्राप्त करने हेतु निराधार ही मिलीभगत कर प्रस्तुत किया है, जो कानुनन किसी कदर पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी आबादी से सटमा स्थित है, जहाँ से प्रार्थीगण के पास स्वंय की आराजी पर आव–जाव करने हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है, जो विपक्षीगण को मौका निरीक्षण की सुचना देने पर विपक्षीगण वक्त मौका निरीक्षण उपस्थित हो अवगत करवाते। लेकिन प्रार्थीगण ने जानबुझकर मिलीभगत कर विपक्षीगण को मौका निरीक्षण बाबत् सुचना नहीं दी और गलत मौका रिपोर्ट प्रेषित करवायी है जबकि मौके पर प्रार्थीगण की आराजियात पर आव जाव करने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी हालत में प्रार्थीगण रेस्पोडेण्ट कोई किसी प्रकार से धारा 215ए के तहत् रास्ता प्राप्त करने के कानुनन अधिकारी नहीं रहते हैं। इस अहम बिन्दु पर भी मातहत अदालत ने कोई घोर न कर आलौच्य निर्णय पारित करने में भारी कानुनी भुल फरमाई है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि इतना ही नहीं विपक्षीगण ने अपने जवाब में यह भी उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3440 आबादी की आराजी संख्या 3090 से सटी हुई होकर आबादी के काम में आ रही है और आबादी भुमि से ही प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 3440 में आवजाव कर रहे है। प्रार्थीगण स्वंय की आराजी संख्या 3440 जो आबादी के रूप में काम में आ रही है, को संपरिवर्तित कराना चाहते हैं, जिस हेतु रास्ता कायम करने हेतु हस्तगत प्रार्थनापत्र निराधार पेश किया है। ऐसी हालत में भी मातहत अदालत द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मातहत अदालत में मृतक के कायम मुकाम बनाये जाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 07.10.2024 पर कोई आदेश मातहत अदालत द्वारा पारित ही नहीं फरमाया गया और आनन फानन में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

बिना पत्रावली का अवलोकन किये आलौच्य आदेश पारित किया है, जो कानुनन पोषणीय नही होन से निरस्त योग्य है ।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक है कि मातहत अदालत में प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 04.10.2023 का बनाया हुआ है और तत्समय विपक्षीध्अपीलाण्ट के पिताश्री प्रकाशचन्द्र, मँवरलाल व शांतिलाल के कायम मुकाम ही संयोजित नहीं किये गये थे अर्थात् मृतक के स्थान पर विधिक वारिसान् की प्रथम उपस्थिति ही मातहत अदालत में दिनांक 22.12.2024 को हुई थी। जिससे ही स्पष्ट है कि मातहत अदालत में धारा 69 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की कोई पालना न कर अपीलाण्टान् की गैर मौजुदगी में मौका पर्चा वास्तविकता से परे रेस्पोडेण्टान् की मिलीभगत से तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसे आधार बना मातहत अदालत ने आलौच्य आदेश पारित फरमाया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

19. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान् स्वीकार की जाकर मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावें एवं दर सूरत दिगर पत्रावली मौताजे कार्यवाही होना मानी जावें या पाई जावें तो पत्रावली पुनः कार्यवाही हेतु मातहत अदालत में रिमाण्ड की जावें ।

20. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रकरण में पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता ने अण्डर टेंकिंग दे दी गई । पक्षकारों ने जानबूझकर जवाब पेश नहीं किया । विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया । जिन्होनें अपील पेश नहीं कीकहै। जो जवाब पेश किया गया वही आधार अपील में लिया गया है। आपत्ति का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय ने करदिया । जिन्होनें आपत्ति की उन्होनें अपील नहीं की है। कायम मुकाम बनाया जाकर उनकी ओर से अधिवक्ता आये व संशोधित अनवान पेश हुआ । आराजी ननम्बर 3440 में जो लिंक रास्ता थाउसी से रास्ता दिलाया गया, जो सबसे निकटतम है। आबादी से प्रवेश का कोई रास्ता नहीं बताया है। सबसे लघुत्तम, आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

21. हनमें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । पत्रावली उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन व मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार पत्रावली पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम (3) सी पी सी , व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम (4) सी पी सी विधिवत रेकार्ड पर है। आदेशिक में लिखने से मात्र तकनीकि त्रुटि है । कायम मुकाम के वारिसान की ओर से अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेंकिंग ली गई है। प्रकरण मे विधिवत संशोधित अनवान भी पेश हुआ है। अप्रार्थी संख्या 5 से 8 का जवाब भी पेश हुआ है व विधिवत सुनवाई प्रकिया में भाग लिया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध विधिवित एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। पक्षकारों को मौका पर्चा बनाते वक्त सूचना पत्र जारी किया गया है जो रेकार्ड पर है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाकर, पक्षकारों को उचित अवसर देकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानानुसार अति आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग नहीं होने व निकटतम बिन्दु का निर्धारण करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया गया है।

आदेश

22. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.4.2025 को यथावत रखा जाता है। ।

23. निर्णय आज दिनांक 17.2.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा